सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग/Department of Disability Affairs

केस संख्या : 178/1015/13-14 **दिनांक :20.01.2014**

के मामले मेः-

मो. युसूफ शेरानी,
मकान नं. 07, गली नं. 2 के पास,
कैलाश नगर, सिविल एयरपोर्ट रोड,
जोधपुर - 342011 (राजस्थान) .... शिकायतकर्ता

बनाम

मुख्य कार्मिक अधिकारी,
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेल गए वे,
लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024. .... प्रतिवादी सं. 1

सलाहकार (जन शिकायत),
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय,
रेल भवन, नई दिल्ली । .... प्रतिवादी सं. 2

केस सं 5/1015/13-14

श्री अब्दुल मुगनी,
वार्ड सं. - 20,काजीपाड़ा,
टोडाभीम, जिला-करौली,
राजस्थान - 321611 .... शिकायतकर्ता

बनाम

मुख्य कार्मिक अधिकारी,
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेलवे,
लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 .... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः-24.12.2013

उपस्थितः

1. श्री मो. युसूफ शेरानी, शिकायतकर्ता (केस संख्या : 178/1015/13-14 में)
2. श्री अब्दुल हकीम, शिकायतकर्ता की ओर से (केस सं 5/101523-14 में)
3. श्री नरेश कुमार, एस. पी.ओ. प्रतिवादी की ओर से)

....2/-

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ताओं, मो. युसूफ शेरानी और श्री अब्दुल मुगनी दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत चिकित्सा परीक्षा में ग्रुप 'डी' के पद के लिए अनफिट करने के संबंध में शिकायतें क्रमशः दिनांक 13.05.2013 और दिनांक 13.05.2013 प्रस्तुत की है ।

2. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि उत्तर रेलवे द्वारा आयोजित ग्रुप 'डी' की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनको चिकित्सा जांच हेतु दिनांक 19.09.2012 को मण्डल रेलवे कार्यालय, फिरोजपुर, उत्तर रेलवे के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया । उनके अनुसार उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य रही, परन्तु मेडिकल जांच के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ वी. के. चड्ढ़ा का व्यवहार दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रति भेदभाव पूर्ण व हीन भावना से पूर्ण था। प्रार्थियों का आगे कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत उनको पता चला कि दृष्टिहीनता के कारण उन्हें अनफिट कर दिया गया है ।

3. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या 16-70/2004-डी.डी.- III दिनांक 15.03.2007 के अनुसार ग्रुप 'डी' के पद जैसे दफ्तरी, चपरासी इत्यादि OA, OL, HH, B और LV श्रेणी के लिए चिन्हित है ।

4. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार - प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक स्थापन में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए उतनी प्रतिशत रिक्तियां नियत करेंगी जो तीन प्रतिशत से कम न हों, जिसमें से प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों मे से एक प्रतिशत निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात् - (i) अंधता या कम दृष्टि (ii) श्रवण शक्ति का ह्रास और (iii) चलन निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात ।

परन्तु समुचित सरकार किसी विभाग या स्थापन में किए जा रहे कार्य की किस्म को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा संख्या 22 के अनुसार यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंडों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों । इस प्रकार, यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को

सामान्य मानदंडों के आधार पर नहीं भरा जा सके तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदंडों को शिथिल करके चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति हेतु ये उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाएं ।

6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36035/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 23 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षा - मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में सबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद, संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

7. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के साथ इस न्यायालय के पत्र क्रमशः दिनांक 31.05.2013 और दिनांक 21.06.2013 द्वारा उठाया गया ।

8. चूंकि इस न्यायालय के सम संख्यक पत्रों क्रमशः दिनांक 10.07.2013, 01.10.2013 तथा 04.11.2013 के पश्चात् भी प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, मामलों को सुनवाई के लिए दिनांक 24.12.2013 को नियत किया गया ।

9. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ताओं को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के पश्चात् उन्हें चिकित्सा प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध उचित प्रारूप में अपील करनी चाहिए थी । इसके बजाय उन्होंने सूचना के अधिकार के अधीन आवेदन करके सूचना प्राप्त करनी चाही । प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता अब भी विहित प्रारूप में अपील फाइल करने के लिए स्वतंत्र हैं, उस दशा में उन्हें नए सिरे से चिकित्सा जांच कराने के लिए उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने आगे दलील दी कि शिकायतकर्ताओं के संबंध में उपयुक्त विनिश्चय चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा ।

10. रोजगार नोटिस के अनुसार प्रतिवादी ने 57 रिक्तियां वी. एच. केटेगरी (दृष्टिबाधित व्यक्तियों और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों) के लिए आरक्षित की थीं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित चिन्हित पदों की सूची के अनुसार, समूह 'घ' के पदों सहित दिनांक 17.12.2010 को प्रतिवादियों द्वारा विज्ञापित पदों में से कुछ दृष्टिबाधित व्यक्तियों और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए

उपयुक्त चिन्हित की गई हैं । इसको ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ताओं को उनकी दृष्टिबाधिता अथवा कम दृष्टि के आधार पर विज्ञापित पदों के लिए अयोग्य घोषित करना सही प्रतीत नहीं होता ।

11. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए शिकायतकर्ताओं को इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर अध्यक्ष, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, लाजपत नगर, नई दिल्ली के समक्ष पुनः चिकित्सा जांच के लिए अपील करने का निदेश दिया जाता है । प्रतिवादियों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ताओं की अपील की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उनकी पुनः जांच कराएं और तत्पश्चात् एक महीने के अन्दर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करें । शिकायतकर्ता यदि प्रतिवादियों के निर्णय से संतुष्ट न हों तो वे पुनः इस न्यायालय में आने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12. तद्नुसार, मामलों का निपटारा किया जाता है ।

हस्त/-

(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)